मु.नं.–34 / 2021 GCMS ID-2021/64 ता.रजु–26.04.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

अजबसिंह गुर्जर (खड़ईया) सामाजिक एवं आर.टी.आई. कार्यकर्ता, ग्राम सींगनपुर, पोस्ट जमूरा, तहसील मासलपुर जिला करौली (राज.) – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–26.08.2021

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने की व्यवस्थाओं में एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी दिनांक 14.06.2021, 21.06.2021, 28.06.2021, 05.07.2021, 12.07.2021, 19. 07.2021, 26.07.21, 05.08.21, 18.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर नाला, श्मशान घाट, सिवायचक, चारागाह भूमि एवं रास्ता आदि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए क्या गाइडलाइन हैं, उक्त गाइडलाइन की सत्यापित छायाप्रति चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से होने के कारण अपीलार्थी का आवेदन पत्र क्रमांक 356 दिनांक 24.05.2021 द्वारा निर्धारित समयावधि में श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को अंतरित कर दिया गया था जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है। अंत में अपील अपीलार्थी ड्रॉप फरमाने का निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अपने विनिश्चय से अवगत करवाते हुए अपीलार्थी का आवेदन निर्धारित समय अवधि में संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को अंतरित कर दिया गया है जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है। संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर करौली नहीं हैं। प्रत्यर्थी के विनिश्चय पर अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने एवं उसके उपस्थित नहीं आने से यह विदित होता है कि अपीलार्थी उक्त सूचना से संतुष्ट है। अतः हम अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना उचित समझते हैं।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली